25 मार्च, 2011 को दोपहर 1200 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक के लिए एजेंडा जिसमें 17 मार्च, 2011 को जारी किए गए संशोधन शामिल हैं

मद संख्या 45.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर *	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्लाट नंबर 21, सेक्टर टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	10	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स बी रहेजा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	गीगाप्लेक्स, प्लाट नंबर 5, एमआईडीसी नालेज पार्क, एयरोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	14.15	हां	नहीं	नया
iii	मैसर्स स्टर्लिंग पोर्ट लिमिटेड	दाहेज गांव, ताल्लुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात	पोर्ट आधारित एसईजेड	144.07	आंशिक (115.95 हेक्टेयर)	नहीं	नया
iv	मैसर्स साइबर सिटी बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	बालानगर मंडल, कुकटपल्ली नगरपालिका, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10.12	हां	नहीं	नया

***राज्य सरकार की सिफारिश**

मद संख्या 45.2 : ग्राम रजोडा, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 217.14.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए अधिसूचित मौजूदा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में से 10.32.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड विकसित करने के लिए मैसर्स एनजी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 217.14.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने अब मौजूदा एसईजेड से 10.32.58 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड विकसित करने का प्रस्ताव किया है जिससे मौजूदा एसईजेड दो एसईजेड में निम्नानुसार विभाजित हो जाएगा :

क्र. सं.	विवरण	कुल क्षेत्रफल
1	मौजूदा इंजीनियरिंग एसईजेड के लिए निर्धारित क्षेत्रफल	189.74.91 हेक्टेयर
2.	रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल	10.32.58 हेक्टेयर
3.	दोनों एसईजेड के लिए निर्धारित साझा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र	17.06.60 हेक्टेयर

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने कहा है कि विकासक गुजरात में रत्न एवं आभूषण तथा डायमंड प्रसंस्करण उद्योग दोनों की संभावनाओं का उपयोग करना चाहता है, जिसका इस सेक्टर में भारत से कुल निर्यात में 70 से 80 प्रतिशत योगदान बताया जाता है। गुजरात में डायमंड और आभूषण उद्योग के केन्द्र अहमदाबाद, भावनगर, पालनपुर, नवसारी, सूरत और वलसाड जैसे शहरों में स्थित हैं। इसलिए विकासक अधिक मूल्यवर्धन के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुजरात के रत्न एवं आभूषण उद्योग की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के

लिए प्रोसेसिंग बेस का विस्तार करने के लिए स्टडेड ज्वैलरी पर फोकस के साथ रत्न एवं आभूषण के लिए नया केन्द्र स्थापित करना चाहता है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यह भी सूचित किया है कि साइट का निरीक्षण करने पर पाया गया कि चिह्नित क्षेत्र हाइवे इंट्री से दाईं ओर है। मुख्य इंट्री रोड के बाईं ओर इंजीनियरिंग एसईजेड और प्रस्तावित रत्न एवं आभूषण एसईजेड का मौजूदा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र है। प्रस्तावित क्षेत्र संस्पर्शी एवं खाली है। चारदीवारी को छोड़कर चिह्नित क्षेत्र में कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं है, जिसे विकासक ने इंजीनियरिंग एसईजेड को अलग करने के लिए निर्मित कराया था। विकासक अलग रोड के साथ इंजीनियरिंग एसईजेड के लिए अलग फाटक लगवा चुका है और रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए फाटक का निर्धारण किया जा चुका है। इसके अलावा दोनों एसईजेड भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करेंगे। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड का अनुरोध

मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 1.30 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना जैसे कि सड़क, भवन, विद्युत प्रणाली, चारदीवारी, जलापूर्ति के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 29 नवंबर, 2010 भी उपलब्ध कराया गया है। 33 साल की अवधि के लिए सह विकासक को भूमि पट्टा पर दी गई है। पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ii) चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स मार्ग डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 121.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 23 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स मार्ग डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.114 हेक्टेयर का विकास करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने (बेयर शेल बिल्डिंग को वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तित करने के लिए) के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 18 फरवरी, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सह विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, मुंद्रा (आईटीआई मुंद्रा) का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्य एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंद्रा, श्रम एवं रोजगार विभाग, गुजरात सरकार ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 8100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 1 जनवरी, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स थाउजैंड आईलैंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्य एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स थाउजेंड आइलैंड होटल्स एंड रिजोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

- **(क) बहु आयामी अतिथि सत्कार क्षेत्र (लगभग 8400 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल) जो स्टार श्रेणी के लगभग 100 होटल रूम प्रदान करेगा, लगभग 50 सर्विस अपार्टमेंट, मीटिंग लांज के साथ व्यवसाय सहायता केन्द्र तथा सचिवालय सेवाएं और मनोरंजन क्षेत्र।**
- **(ख) एक हाईफाई मनोरंजन क्षेत्र (लगभग 2600 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्रफल) जिसमें समीपवर्ती एफ एंड बी प्लाजा तथा लीजर स्पॉट के साथ 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स शामिल हैं।**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 18 दिसंबर, 2010 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि आसपास के क्षेत्रों सहित मुंद्रा टाउनशिप में होटल एवं मनोरंजन की सुविधाओं के अभाव, एमपीएसईजेडएल क्षेत्र में प्रस्तावित गतिविधियों / विकासों के लिए भावी आवश्यकताओं को देखते हुए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(v) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिरिसे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्य एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स हिरिसे हॉसपिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने होटल, सर्विस अपार्टमेंट, सम्मेलन केन्द्र, पारिवारिक मनोरंजन की सुविधाएं जैसे कि जिम, बिलियर्ड / स्नूकर, टेबल टेनिस, स्वीमिंग पूल, थ्री होल मिनी गोल्फ कोर्स स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड ने सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 26 फरवरी, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(vi) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथव्यपीन, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 285.8413 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में थुव्यपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड 02 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए भंडारण की सुविधाओं के विकास, इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइन बिछाने और एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर (टैंकर) स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त एसईजेड में सह विकासक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार नहीं हुआ था। सह विकासक ने अब सह विकासक करार दिनांक 21 जनवरी, 2011 उपलब्ध कराया है(अनुअंध 1, पृष्ठ 46 से 49)। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसलिए अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स हैदराबाद इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के अंग के रूप में टावर एच01ए और एच08 के प्रचालन और अनुरक्षण के साथ 1.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अपेक्षित इंटीरियर, अवसंरचना में निवेश और विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह सह विकासक करार दिनांक 5 मार्च 2011 उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(viii) वागरा, जिला भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पद्द एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का अनुरोध

1704.37.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय ने कौशल विकास केन्द्र, उद्योग उन्मुख अनुसंधान केन्द्र तथा पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन उद्योग सहित ऊर्जा क्षेत्र को शामिल करते हुए मानव संसाधन विकास के लिए दाहेज एसईजेड में 5 एकड़ के क्षेत्रफल में सुविधाओं का विकास करने के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 15 फरवरी, 2011 उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ix) आदित्य नगर, अधिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एयरो स्पेस तथा प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स समुहा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 24 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स समुहा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 40.676 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना जैसे कि विद्युत, पानी, सीवेज, ग्रीनरी तथा अन्य सामान्य सुविधाओं आदि के विकास के लिए सह विकासक बनने के

लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 05 फरवरी, 2011 उपलब्ध कराया गया है। 66 साल की अवधि के लिए सह विकासक को भूमि पट्टा पर दी गई है (शुरू में 33 साल के लिए जिसे अगले 33 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है)। पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.4 : मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक का दर्जा वापस लेने के लिए मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। सह विकासक करार दिनांक 15 जून 2010 के अनुसरण में उपर्युक्त एसईजेड में 427651 वर्गफीट के पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में प्रासंगिक सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए 13 जुलाई 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की सहायक कंपनी है, को सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया था। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि सह विकासक ने यह कहते हुए सह विकासक के अनुमोदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है कि कुछ आंतरिक बाध्यताओं के कारण वह विकासक के साथ करार के अनुसार कार्य / आवंटन ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा विकासक ने भी मैसर्स फिनिक्स टेक्नो सिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया सह विकासक का दर्जा निरस्त करने की सिफारिश की है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है परंतु यह शर्त रखी है कि सह विकासक प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभों, यदि कोई हो, को लौटाए।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.5 : सह विकासक के रूप में विकसित किए जाने वाले क्षेत्र के अंदर एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए सिपकाट औद्योगिक क्षेत्र, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकाम हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टीएपीपी सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सिपकाट औद्योगिक क्षेत्र, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में 189.771 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकाट) द्वारा इलेक्ट्रानिक्स / टेलीकॉम हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 22 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 31 जुलाई, 2007 को 41.369 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 231.14 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स टीएपीपी सेमीकंडक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 21.45 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। कुल क्षेत्रफल में से 13.35 हेक्टेयर को प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है तथा 8.09 हेक्टेयर को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है। सह विकासक ने बताया है कि वह ग्राहकों की आवश्यताओं के अनुरूप विश्व स्तरीय सुविधा में एसईजेड को विकसित करना चाहता है, प्राकृतिक प्रगति के इस विजन के रूप में टीएपीपी ने उक्त एसईजेड के अंदर अंत दर अंत सुविधाओं के लिए विकासक को प्रस्ताव किया है जिससे एसईजेड के अंदर स्थित विनिर्माताओं एवं व्यापारियों की दक्षता में सुधार होगा। इसलिए सह विकासक ने एसईजेड में पहले से अनुमोदित एवं सीमांकित प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर 2.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एक एफटीडब्ल्यूजेड का विकास करने का प्रस्ताव किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए विकासक ने अभी तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (ग) के तीसरे परंतुक के अनुसार किसी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड की

अनुमति प्रदान की जा सकती है परंतु शर्त यह है कि अधिकतम क्षेत्रफल प्रसंस्करण क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसलिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सह विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.6 : मैसर्स दाहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा जिला भड़ूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का विद्युत संयंत्र की क्षमता 1500 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने के लिए अनुरोध

1704.37.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (टीईएल) को 22 सितंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1500 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन और आवश्यक पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने कहा है कि चयनित प्लांट एवं गैस टर्बाइन के कनफिगरेशन के आधार पर तथा एसईजेड में विद्युत की मांग को देखते हुए और पीसीपीआईआर एवं डीएमआईसी सहित एसईजेड क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अब कुल 1600 मेगावाट (4x400 मेगावाट की सीसीपीपी यूनिटें) उत्पादन क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। टीईएल ने पहले चरण में कुल 1200 मेगावाट की 400 मेगावाट की 3 यूनिटें स्थापित करने और दूसरे चरण में 400 मेगावाट की एक और यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसलिए सह विकासक ने विद्युत संयंत्र की क्षमता 1500 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने के लिए अनुरोध किया है।

टीईएल ने यह भी बताया है कि सह विकासक का दर्जा प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रसंस्करण क्षेत्र में आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया है और उस समय प्रचलित विनियमों के आधार पर प्रसंस्करण क्षेत्र में परियोजना को लागू करना आरंभ किया था। तथापि, आगे चलकर वाणिज्य विभाग ने विद्युत दिशानिर्देश जारी किया जिसमें एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। सह विकासक ने बताया है कि फरवरी 2009 में दिशानिर्देश जारी होने के बाद प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित संयंत्र को एसईजेड की यूनिट के रूप में, न कि सह विकासक के रूप में माना जा रहा है। इसलिए टीईएल ने उत्पादन कंपनी को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने का भी अनुरोध किया है, हालांकि यह प्रसंस्करण क्षेत्र में है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सह विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। सह विकासक के अनुरोध के साथ विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुरोध अनुबंध 2 (पृष्ठ 50 से 59) के रूप में संलग्न है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.7 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 17 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड को 19 जुलाई, 2006 को पुन: अधिसूचित किया गया। एलओए दिनांक 21 अगस्त 2009 के माध्यम से मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड में सह

विकासक के रूप में अनुमोदित है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में सह विकासक को निम्नलिखित के अधीन एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के रूप में 60 बिस्तर वाला अस्पताल (जिसका क्षेत्रफल 4010 वर्गमीटर होगा) स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी:

(क) अस्पताल केवल इस एसईजेड के स्टाफ, आसपास के एसईजेड के स्टाफ तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा;
(ख) उपर्युक्त श्रेणी के अलावा किसी बाहरी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा; और
(ग) नोकिया एसईजेड, विकासक को इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवश्य अवगत कराया जाएगा ताकि अनुमोदन की मूल भावना बनी रहे।

अब विकासक ने यह कहते हुए उपर्युक्त शर्तों में ढील प्रदान करने का अनुरोध किया है कि यह उनकी व्यावसायिक चिकित्सा नैतिकता में दखल है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और प्रचालन से जुड़ी गंभीर कमियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया और अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसार फाइल पर प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस विभाग ने सह विकासक से अस्पताल स्थापित करने के लिए संभावित रूप से प्राप्त की जाने वाली ड्यूटी रियायतों की मात्रा के बारे में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया था। विकासक ने सूचित किया है कि जिन रियायतों की उम्मीद है वे 100-125 लाख रुपए के आसपास होंगी। यह मुख्य रूप में निर्माण तथा चिकित्सा उपकरण के आयात के लिए होगा। सह विकासक ने यह भी बताया है कि वे एग्जिम नीति के मौजूदा प्रावधानों के तहत भी रियायती दर पर आयात के लाभों का दावा करने में समर्थ हैं।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.8 : इक्विटी के अंतरण / परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए विकासक मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए सह विकासक मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कंपनी की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन के लिए सह विकासक मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सोल्यूसंश्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा में क्रियाशील क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड है, के संबंध में विकासक तथा दो सह विकासकों के संबंध में इक्विटी के विनिवेश का प्रस्ताव जांच के अधीन है। 3 प्रस्तावों में संबंधित वर्तमान शेयरधारकों से मैसर्स ट्रिफ जिसका प्रतिनिधित्व उनकी तीन कंपनियों ने किया है, को इक्विटी का अंतरण शामिल है। जब 14 जनवरी 2011 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया तो चर्चा का सारांश इस प्रकार है :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान प्रस्ताव एसईजेड की बिक्री के लिए है जो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अंतरण के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं और चूंकि विलय एवं अधिग्रहण के अंग के रूप में भविष्य में ऐसे प्रस्तावों के आने की संभावना है, कोई सोची समझी राय अपनाना उचित है। तद्नुसार, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने तय किया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाए।

इस निर्णय के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा मामले की जांच की गई तथा निम्नलिखित उभरकर सामने आया :

एसईजेड अधिनियम विकासक को ऐसे व्यक्ति या राज्य सरकार को ऐसी सरकार के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा 10 के तहत मंजूरी पत्र प्रदान किया गया है तथा सह विकासक के तहत प्राधिकार शामिल है। इसके अलावा "व्यक्ति" को किसी व्यष्टि, भारत का निवासी हो या भारत से बाहर का हो, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति, कंपनी, भारत में निगमित हो या भारत के बाहर निगमित हो, फर्म, प्रोपराइटरी प्रतिष्ठान, व्यक्तियों के संघ या व्यष्टियों के निकाय, निगमित हों या न हों, स्थानीय प्राधिकरण तथा किसी एजेंसी, कार्यालय या शाखा जिसका स्वामित्व या नियंत्रण ऐसे व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति, संघ, निकाय, प्राधिकरण या कंपनी के पास है, को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम यह भी परिभाषित करता है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए और परिभाषित न किए गए परंतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961, सीमा शुल्क अधनियम 1962 तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधनियम 1992 में परिभाषित किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों में उनके अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

धारा 3 (1) के अनुसरण में अन्य बातों के साथ किसी व्यक्ति द्वारा माल के विनिर्माण के लिए या सेवाएं प्रदान करने के लिए या दोनों के लिए एसईजेड स्थापित किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड अपने अनुमोदन या अस्वीकृति के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित करता है जो विकासक को मंजूरी पत्र जारी करती है। जो व्यक्ति कोई अवसंरचना सुविधा प्रदान करना चाहते हैं या अधिकृत प्रचालन संचालित करना चाहते हैं वे विकासक के साथ करार करते हैं और सह विकासक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क करते हैं। मंजूरी पत्र प्राप्त करने के बाद, विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में राज्य में विशेष रूप से चिह्नित क्षेत्रफल के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिसूचना के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क करता है और संतुष्ट होने के बाद केन्द्र सरकार एसईजेड को अधिसूचित करती है। इस प्रकार अधिसूचित एसईजेड को एसईजेड अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी अधिनियमों के तहत करों, शुल्कों या उपकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। इसके अलावा एसईजेड के लिए विशेष राजकोषीय प्रावधानों में विकासकों एवं उद्यमियों के लिए विशिष्ट छूटों, ड्राबैक तथा रियायतों का उल्लेख है, जिसमें उत्पाद एवं सीमा शुल्क अधिनियम तथा आयकर अधिनियम भी शामिल हैं। धारा 49 के तहत केन्द्र सरकार यह आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है कि कोई अन्य केन्द्रीय अधिनियम या कोई नियमावली या विनियम किसी एसईजेड पर लागू नहीं होगा या किसी एसईजेड पर लागू होगा। इस प्रावधान के तहत अब तक केवल दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जैसा कि केन्द्र सरकार के सभी अन्य प्रावधान एसईजेड पर अन्यथा लागू हैं जिसमें फर्मों के स्वामित्व, विलय एवं अधिग्रहण, फर्मों के ग्रहण के संबंध में सभी संगत कानून, सभी अन्य आयकर विनियम शामिल है, सिवाय उनके जिनके संबंध में विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है। वास्तव में स्पष्ट रूप से पढ़ने पर एसईजेड अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा एसईजेड की स्थापना के लिए है और अनुमोदन प्रदान किए जाने तथा एसईजेड अधिसूचित हो जाने के बाद एसईजेड होने के कारण उसके द्वारा प्राप्त की गई छूटों के अलावा वह विभिन्न अधिनियमों के तहत सभी अनुचर देयताओं के साथ कानूनी व्यक्ति बन जाता है। इसलिए देखा जा सकता है कि एसईजेड अधिनियम ने कमोबेश अपने आपको विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की गई स्पष्ट छूटों के साथ एसईजेड के विकास तक सीमित रखा है तथा कंपनियों

/ फर्मों / संघों आदि के संबंध में शेष कानूनी अधिनियमों का प्रचालन उन पर छोड़ दिया है, जो एसईजेड का प्रबंधन करते हैं।

एसईजेड नियम 11 (9) के अनुसार एसईजेड में विकासक द्वारा भूमि की बिक्री प्रतिबंधित है तथा भूमि केवल पट्टा पर दी जा सकती है। इसके अलावा विकासक कंपनियों के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में अधिनियम / नियमावली में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया। संगत दिशानिदेशों की प्रति अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है (पृष्ठ 60 से 61)। ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए कि केवल गंभीर विकासकों को प्रोत्साहित किया जाए जो एसईजेड स्थापित करना चाहते हैं और एसईजेड के वास्तव में अधिसूचित होने और क्रियाशील बनने से पूर्व सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन के अंतरण (बिक्री) की अनुमति न दी जाए।

वर्तमान मामले में, औपचारिक या सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतरण का मामला नहीं है क्योंकि एसईजेड अधिसूचित हो चुका है तथा यह क्रियाशील एसईजेड है और उपर्युक्त सभी अनुचर देयताओं के साथ अस्तित्व में आ चुका है। तदनुसार, एसईजेड विकासक को अधिसूचित एसईजेड के लिए यथानिर्धारित सभी अपेक्षित शर्तों का पालन करना होगा। इसलिए उपर्युक्त दिशानिर्देश वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। इसलिए उपर्युक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में एसईजेड की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आयकर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा उल्लिखित बिंदु स्पष्ट है जिसमें सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

वाणिज्य विभाग भी इस मुद्दे के संबंध में कुछ एसईजेड से अनुरोध प्राप्त कर रहा है। एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली को ध्यान में रखते हुए उचित होगा कि इक्विटी का अंतरण, विलय एवं अधिग्रहण, इक्विटी की सूचीबद्धता एवं व्यापार सहित अधिसूचित एवं क्रियाशील एसईजेड के नियंत्रक फर्म के संबंध में सामान्य कारोबारी लेनदेन के मामले को इस प्रयोजनार्थ सृजित संबंधित एजेंसियों पर छोड़ दिया जाए। एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली भी ऐसी व्यवस्था के लिए अभिकल्पित की गई है। उचित होगा कि संबंधित फर्म को इक्विटी के विनिवेश की संपूर्ण प्रकृति का खुलासा करने और उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एजेंसियों से संपर्क करने की सलाह दी जाए। आयकर विभाग, आर्थिक कार्य विभाग आदि सहित संबंधित एजेंसियों को भी ऐसे मामलों में सूचित किया जाएगा ताकि वे समुचित अध्यवसाय, यदि कोई हो, का प्रयोग कर सकें और उपयुक्त कदम उठा सकें। ऐसा कदम यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित एजेंसियां अपने सरोकारों का निराकरण करने के लिए स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं।

सारांश के तौर पर, एसईजेड अधिनियम द्वारा एसईजेड मार्गदर्शित हैं जो विभिन्न अधिनियमों के तहत विशिष्ट छूटों के लिए प्रावधान करता है। इन छूटों के अलावा एसईजेड ऐसे सभी अन्य अधिनियमों के अधीन हैं जो देश में कारोबारी फर्मों को अभिशासित करते हैं। एसईजेड फर्म में विलय, अधिग्रहण, विनिवेश आदि जो व्यवसाय के सामान्य लेनदेन हैं, के लिए इन अधिनियमों से छूट प्रदान की गई है तथा इन फर्मों को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अगस्त 2009 में अनुमोदन बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेश एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को ट्रांसफर करने के संबंध में हैं, न कि अधिसूचित या क्रियाशील एसईजेड के संबंध में क्योंकि ये कानूनी संस्थाएं हैं जो अस्तित्व में आ चुकी हैं तथा एसईजेड का प्रचालन कर रही हैं। तदनुसार वर्तमान मामले तथा ऐसे अन्य मामलों के संबंध में (वाणिज्य विभाग के पास एनएसईजेड तथा टिडको से दो संदर्भ पहले से ही हैं) जिनमें भविष्य में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि संबंधित एसईजेड फर्में अपने सामान्य व्यवसाय करेंगी और विभिन्न अधिनियमों जैसे कि आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, फेमा

आदि के अनुसरण में विनियमित होंगी इसलिए संबंधित विकासक फर्मों को संबंधित एजेंसियों से, न कि अनुमोदन बोर्ड / वाणिज्य विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। तथापि, इन फर्मों को इक्विटी होल्डिंग में परिवर्तन के बारे में वाणिज्य विभाग को बताने की आवश्यकता होगी ताकि अनुमोदन बोर्ड को अधिसूचित एवं क्रियाशील एसईजेड के संबंध में इक्विटी के ऐसे विनिवेश / सूचीबद्धता के बारे में अवगत कराया जा सके। वाणिज्य विभाग इस संबंध में सभी विकास आयुक्ताओं / विकासकों को अलग से सामान्य अनुदेश भी जारी करेगा ताकि वे भी अपने प्रभार के अधीन एसईजेड के संबंध में ऐसे विनिवेश के बारे में सूचना प्रदान करें।

ये दिशानिर्देश अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हैं।

मद संख्या 45.9 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) गांव इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एफटीडब्ल्यूज़ेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्शिया नार्दर्न एफटीडब्ल्यूज़ेड लिमिटेड का अनुरोध

51.4394 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूज़ेड 16 नवंबर, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ओपन स्टोरेज यार्ड			
	(क) कंटेनर यार्ड	1	65000	65000
	(ख) ओवर डाइमेंशनल कार्गो यार्ड	1	14000	14000
	(ग) खाली कंटेनर यार्ड	1	2000	2000
	(घ) शेड के साथ अनुरक्षण एवं मरम्मत यार्ड	1	5000	5000
	(ड.) स्क्रैप यार्ड	1	5500	5500
2.	डिस्टफिंग और जांच यार्ड	1	3000	3000
3.	परिवहन प्रणाली			
	(क) बस शेल्टर्स	6	10	60
	(ख) हेलीपैड	1	6500	6500
	(ग) यातायात नियंत्रित करने के लिए प्रणालियां			
	(घ) आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ड.) वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन	1	लागू नहीं	लागू नहीं

	सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर			
4.	जन सुविधाएं			
	(क) फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं एवं किचन	1	3000	3000
	(ख) ट्वायलेट	4	60	240
	(ग) विश्राम कक्ष	1	250	250
	(घ) बुनियादी सुविधा स्टोर (ग्रोसरी, स्टेशनरी आदि)	1	150	150
5.	वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर			
	(क) गुड्स / कंटेनर ट्रैकिंग / ट्रेसिंग सिस्टम	1	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेय	1	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	उत्पाद डिस्प्ले सेंटर	1	5000	5000

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जन सुविधाएं			
	(क) ट्वायलेट	1	60	60
	(ख) बस टर्मिनल	1	500	500
	(ग) वर्क शॉप	1	500	500
2.	प्रशासनिक भवन (शामिल करने के लिए)	1	5000	5000
	(क) एफटीडब्ल्यूजेड मैनेजमेंट सेंटर			
	(ख) कूरियर कार्यालय			
	(ग) बैंक / एटीएम			
	(घ) इंटरनेट कैफे			
	(ड.) टेलीफोन बूथ			
	(च) डाक / तार घर			
	(छ) व्यवसाय केन्द्र			
	(ज) क्लियरिंग एजेंट, बीमा कंपनियों, शिपिंग कंपनियों			

	आदि के लिए कार्यालय			
	(झ) स्टेशनरी एवं जीरोक्स की सुविधा			
	(ञ) पेंट्री कैंटीन और डायनिंग एरिया			
	(ट) डाटा केंद्र			
	(ठ) पॉली क्लीनिक एवं फार्मेसी			
	(ड) अतिथि कक्ष			
3.	उत्पाद डिस्प्ले सेंटर	1	1000	1000
4.	आवश्यक अनुरक्षण स्टाफ आवास और सामूहिक शयन कक्ष			
	(क) स्टाफ आवास	4 यूनिटें	600 (प्रत्येक यूनिट में 12 घर होंगे जिनका औसत क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा)	2400
	(ख) सामूहिक शयन कक्ष	1	1500 150 बेड जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर होगा	1500

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन के संबंध में विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

607.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने पोर्ट के विकास के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फेंडर, बोलार्ड क्रेन रेल के साथ शोर के समानांतर कंटेनर बर्थ	3	24508.33	73525
2.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	1	102000	102000
3.	ओपन स्टाक यार्ड	1	180000	180000
4.	कार स्टाक यार्ड	1	30000	30000

5.	अन्य बर्थ	2	25000	50000
6.	गेट कम्प्लेक्स एंट्री एवं एग्जिट	1	3000	3000
7.	शोर प्रोटेक्शन बंड	1	12500	12500
8.	ब्रेकवाटर और बर्थ के बीच कनेक्टिंग प्लेटफार्म	1	2000	2000
9.	कंट्रोल टावर, पंप हाउस, टिपिकल सिक्योरिटी, पीएंडएम वर्कशाप के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग	7	1021.50	7150
10.	अन्य यूटिलिटी - ईंधन का सब स्टेशन, क्वे, रिसीविंग यार्ड तथा वर्कशाप पार्किंग बे, तुला सेतु, पार्किंग एरिया, वाटर टैंक और वाशिंग एरिया	9	2888.89	26,000
11.	आंतरिक संपर्क के लिए सुविधाएं (किलोमीटर में)	1	30 किलोमीटर	30 किलोमीटर

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

1704.37.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	एसईजेड भाग 1 और एसईजेड भाग 2 के बीच समर्पित कोरिडोर में दो फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण	लागू नहीं	लागू नहीं	4.66 किमी

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

			अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
1.	14 हेक्टेयर की भूमि पर पोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अधिकृत प्रचालनों के लिए औचित्य के साथ विकासक का अनुरोध अनुबंध 4 (पृष्ठ 62 से 65) के रूप में संलग्न है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओएनजीसी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड में एक यूनिट है, का अनुरोध

1704.37.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स ओएनजीसी लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यूनिट ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	हेलीपैड	1	लागू नहीं	900 (30x30 मीटर)

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट एलएनजी से सी2, सी3 और सी4 रिकवरी यूनिट स्थापित कर रही है और यह कि दाहेज में सी2-सी3 निष्कर्षण संयंत्र विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। इसके अलावा परियोजना के लिए क्रायोजेनिक एलएनजी से सी2+ कंपोनेंट का निष्कर्षण आवश्यक है जिसे मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) जो ओएनजीसी का एक संयुक्त उद्यम है, से मंगाया जाएगा और इसके उत्पाद पेट्रो रसायन तथा तेल निर्माण कंपनियों के लिए फीड स्टाक होंगे। संयंत्र पूरा होने के अंतिम चरण में है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यह संयंत्र एलएनजी जो क्रायोजेनिक लिक्विड है तथा अत्यधिक दहनशील सामग्री है, को हैंडल करेगा। जोखिम के अलावा भौतिक संपर्क या एलएनजी का फैलाव बड़ा कार्मिक एवं उपकरण संकट है। ऐसी स्थिति में आपातकालीन निकास के लिए यूनिट में हेलीपैड का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जो मध्यम आकार के हेलीकाप्टर को हैंडल करने में सक्षम होगा। इसलिए विकास आयुक्त ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा यह शर्त रखी है कि यह हेलीपैड केवल आपातकालीन स्थितियों में प्रयुक्त किया जाएगा।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

57.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	गैस आधारित विद्युत संयंत्र (सह उत्पादन के साथ) - विद्युत उत्पादन एवं वितरण - 100 मेगावाट	1	12000	12000
2.	गैस का भंडारण एवं वितरण	20	100	2000
3.	सौर ऊर्जा प्रणाली	50	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट जैसे कि पेपर ग्लास, मेटल, कार बोर्ड, लास्टिक, ई-वेस्ट तथा जैविक अपशिष्ट के लिए केन्द्रीयकृत संग्रहण एवं भंडारण क्षेत्र	1	3000	3000

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	कार्यालय स्थान	लागू नहीं	लागू नहीं	112674
2.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम, वेल्फेयर संटर और लाइब्रेरी सहित मनोरंजन की सुविधाएं	लागू नहीं	लागू नहीं	1200
3.	(क) होटल सहित व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र (ख) प्रेक्षागृह	लागू नहीं	लागू नहीं	(क) 25000 (ख) 4100
4.	बेघरों के लिए आवास जिसे थाणे नगर निगम को नि:शुल्क सौंपा जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं	5640
5.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं	लागू नहीं	लागू नहीं	9200

	सहित फूड सर्विस			
6.	प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी, हाई स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज	लागू नहीं	लागू नहीं	2000
7.	फ्यूल स्टेशन	1	1000	1000
8.	फायर स्टेशन	1	5000	5000
9.	पौध उगाने के लिए नर्सरी	1	1000	1000
10.	उच्च शिक्षा संस्थान तथा सांध्य कक्षाएं	1	2500	2500
11.	सौर ऊर्जा प्रणाली	50	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट जैसे कि पेपर ग्लास, मेटल, कार बोर्ड, लास्टिक, ई-वेस्ट तथा जैविक अपशिष्ट के लिए केन्द्रीयकृत संग्रहण एवं भंडारण क्षेत्र	1	3000	3000

क्रम संख्या 7 से 12 में सूचीबद्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में उपर्युक्त अधिकृत प्रचालन तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की सिफारिश अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम मुसलगांव और गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड जो मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड में सह विकासक है, का अनुरोध

नासिक, महाराष्ट्र में 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 1200 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का अनुरोध 15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा 11 फरवरी 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने संयंत्र की क्षमता 1200 मेगावाट से बढ़ाकर 1350 मेगावाट करने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को विद्युत संयंत्र की क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़ाकर 2700 मेगावाट करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी।

11 फरवरी, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सह विकासक को एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कुछ अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। जब अधिकृत प्रचालनों के लिए माल की सूची के अनुमोदन के लिए मामला यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया तो यूनिट अनुमोदन समिति ने नोट किया कि अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन में अनुमत मात्रा का उल्लेख एकड़ में है और यह इनपुट की आवश्यकता को अनुमोदित करने में अनुमोदन समिति की सहायता करेगा यदि अनुमोदित मात्रा का उल्लेख संख्या में भी हो। हालांकि यूनिट अनुमोदन समिति ने

माल की सूची को अनुमोदित किया, परंतु निदेश दिया कि अनुमोदित मात्रा को संख्या में भी निर्दिष्ट करने के लिए इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को संदर्भ भेजा जाए।

इस बीच सह विकासक ने चरण 2 के लिए अधिकृत प्रचालनों की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है तथा चरण 1 एवं चरण 2 के लिए अपेक्षित मदों की समेकित सूची को संख्या में भी दर्शाया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है (चरण 1 के लिए अधिकृत प्रचालन 11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए जा चुके हैं) :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	चरण-I के लिए अनुमोदित मात्रा (एकड़ में)	चरण II के लिए अपेक्षित मात्रा (एकड़ में)	चरण I और II के लिए कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	चरण II के लिए अपेक्षित मात्रा	चरण-II के लिए अपेक्षित मात्रा	चरण I और II के लिए कुल क्षेत्रफल
1	निम्नलिखित यांत्रिक प्रणालियों की स्थापना :						
(i)	5 x 270 मेगावाट का कोयला आधारित बॉयलर, टर्बाइन, जेनरेटर (बीटीजी) सेट तथा इनकी सहयोगी यूनिटें जिसमें बॉयलर फीड सिस्टम, कंडेंसर, कंडसेंट एक्सट्रैक्शन पंप, एचपी / एलपी हीटर्स, कोल मील्स एंड आरसी फीडर्स, कोल बंकर, आईडी / एफडी / पीए फैन, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर्स तथा आटो कंट्रोल सिस्टम आदि शामिल हैं।	52	52	104	5 सेट	5 सेट	10 सेट
(ii)	कोल हैंडलिंग सिस्टम जिसमें वैगन टिपलर, साइड आर्म चार्जर, विब्रो फीडर, क्रशर्स, स्टैकर सह रिक्लेमर, कनवेयर सिस्टम, डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे मार्शलिंग यार्ड आदि शामिल हैं।	70	70	140	1 सेट	1 सेट	2 सेट
(iii)	ऐश हैंडलिंग सिस्टम जिसमें ऐश स्लरी पंप, कलेक्टर टैंक, हाई कंसंट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (एचसीएसडी) सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, ऐश स्लरी पाइप लाइंस, सूखी उड़न राख के निस्तारण के लिए ऐश सिलोज तथा मिल रिजेक्ट सिस्टम शामिल हैं।	9	9	18	1 सेट	1 सेट	2 सेट
(iv)	जल शोधन संयंत्र जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : शोधन पूर्व संयंत्र	3.5	चरण 1 में उपलब्ध क्षेत्रफल	3.5	1 सेट	1 सेट	2 सेट

	(क्लैरीफिकेशन सिस्टम, केमिकल हाउस, क्लैरीफ्लोकुलेटर, क्लैरीफाइड वाटर स्टोरेज टैंक, पीटी पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक आदि) डीएम प्लांट (सक्रिय कार्बन फिल्अर, काशन / एनियन / मिक्स्ड बेड एक्सचेंजर, डीगैसीफायर टावर, डीएम वाटर स्टोरेज टैंक, डीएम पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक आदि)				1 सेट	1 सेट	2 सेट
(v)	सीडब्लयू / एसीडब्ल्यू पंप, सीडब्ल्यू पाइपिंग, बटरफ्लाई वाल्व और आरई ज्वाइंट, सीडब्ल्यू ट्रीटमेंट और क्लोरिनेशन सिस्टम, कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट (सीपीयू)	5	5	10	1 सेट	1 सेट	2 सेट
(vi)	रा वाटर पंपिंग सिस्टम जिसमें पंप, एसटीपी से पाइपिंग लाइन, पंप हाउस, 33 केवी के लाइन तथा सब स्टेशन आदि शामिल हैं	2 एकड़ + 10 मीटर x 18 किमी	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	2 एकड़ +	1 सेट	-	1 सेट
(vii)	ईंधन तेल प्राप्ति, भंडारण और हैंडलिंग सिस्टम (पंप, संबद्ध ड्राइव, टैंक सहित)	2.25	तदैव	2.25	1 सेट	-	1 सेट
(viii)	डक्टिंग आदि सहित एयर कंडिशनिंग सिस्टम तथावेंटीलेशन सिस्टम	0.5	0.5	1.0	1 सेट	1 सेट	2 सेट
(ix)	कंप्रेशर, पाइप, एयर वेजल तथा ड्रायर आदि सहित कंप्रेस्ड एयर सिस्टम	0.75	0.75	1.5	1 सेट	1 सेट	2 सेट
(xi)	हाइड्रोजन जेनरेशन प्लांट	0.25	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	0.25	1 सेट	-	1 सेट
XIII.	वर्कशाप के उपकरण	0.75	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	0.75	1 सेट	-	1 सेट
2	विद्युत कार्य :						
(i)	पावर ट्रांसफार्मर जीटी, एसटी, यूएटी एवं आईसीटी (जेनरेटर ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, यूनिट ऑक्स ट्रांसफार्मर तथा इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर आदि)	संबंधित प्रणालियों में शामिल	संबंधित प्रणालियों में शामिल	-	पावर ट्रांसफार्मर : (क) जीटी : 5 सेट (ख) एसटी : 3 सेट (ग) यूएटी : 10 सेट (घ) आईसीटी : 1 सेट	पावर ट्रांसफार्मर : (क) जीटी : 5 सेट (ख) एसटी : 3 सेट (ग) यूएटी : 10 सेट (घ) आईसीटी : 1 सेट	पावर ट्रांसफार्मर : (क) जीटी : 10 सेट (ख) एसटी : 6 सेट (ग) यूएटी : 20 सेट (घ) आईसीटी : 2 सेट
(ii)	शेष संयंत्र के लिए विद्युत उपकरण (ईबीओपी) जिसमें 400 केवी का स्विचयार्ड, स्विच गियर, आइसोलेटर,	40	चरण 1 में उपलब्ध क्षेत्रफल	55	1 सेट	1 सेट	2 सेट

	लाइटनिंग अरेस्टर, प्रोटेक्शन सिस्टम, अर्थिंग, टावर, बसबार गैंट्री, कंडक्टर, इनसुलेटर, केबल, स्काडा सिस्टम, स्टेशन लाइटिंग, प्लांट डीजी सेट आदि शामिल हैं						
(iii)	400 केवी की पारेषण लाइन जिसमें एसईजेड क्षेत्र में विद्युत के पारेषण / वितरण के लिए संबद्ध स्विचगियर के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी / स्टार्टअप पावर तथा इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर के लिए सीटीयू / एसटीयू छोर पर सब स्टेशन बे शामिल हैं	- 52 मीटर x 100 किमी (मार्गाधिकार प्राप्त करने के बाद पारेषण लाइनों को कार्यान्वित किया जाएगा)	- 52 मीटर x 100 किमी (मार्गाधिकार प्राप्त करने के बाद पारेषण लाइनों को कार्यान्वित किया जाएगा)	- मार्गाधिकार जो पारेषण कोरिडोर के लिए संयंत्र क्षेत्र के बाद प्राप्त किया जाएगा	1 सेट	1 सेट	2 सेट
3	सिविल कार्य :						
(i)	साइट लेवलिंग तथा ग्रेडिंग का कार्य	350 एकड़	150	500	लाट 1	1 लाट	2 लाट
(ii)	बीटीजी सिविल तथा संरचनात्मक कार्य	संबंधित सिस्टम में शामिल	-	-	1 लाट	1 लाट	2 लाट
(iii)	बीओपी, विविध एवं गैर संयंत्र बिल्डिंग, लोको शेड आदि के लिए सामान्य सिविल कार्य	संबंधित सिस्टम में शामिल	-	-	1 लाट	1 लाट	2 लाट
(iv)	चिमनी (स्टैक एलिवेटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एविएशन लाइटिंग, अर्थिंग आदि सहित)	संबंधित सिस्टम में शामिल	-	-	2 सेट	2 सेट	4 सेट
(v)	कूलिंग टावर	65	65	130	5 सेट	5 सेट	10 सेट
(vi)	गेट / स्क्रीन आदि सहित प्लांट वाटर रिजर्वायर	39.5	चरण I और II के लिए साझी सुविधा	39.5	1 लाट	-	1 लाट
(vii)	ऐश डाइक तथा ऐश वाटर रिकवरी सिस्टम	196	तदैव	196	1 लाट	-	1 लाट
(viii)	रेलवे साइडिंग, तटबंध, पुलों, आरयूबी का निर्माण तथा संबद्ध सिविल कार्य, पी वे वर्क (रेल एवं स्लीपर बिछाना), सिगनलिंग एवं दूरसंचार, लोकोमोटिव का प्रापण	50 मीटर x 25 किमी (रेलवे नेटवर्क के साथ संपर्क के लिए भूमि पट्टी प्लांट एरिया के बाद अधिग्रहीत की जानी है)	30 मीटर x 25 किलोमीटर (रेलवे नेटवर्क के साथ संपर्क के लिए भूमि पट्टी प्लांट एरिया के बाद अधिग्रहीत की जानी है)	80 मीटर x 25 किमी	1 लाट	1 लाट	2 लाट
4	साइट इनेबलिंग वर्क :						
(i)	पोर्टा केबिन, फर्नीचर और एयर कंडिशनिंग सहित	5.5	चरण I और II के लिए साझी	5.5	1 लाट	-	1 लाट

	साइट कार्यालय		सुविधा				
(ii)	स्टोर तथा स्टील यार्ड	22.5	तदैव	22.5	1 लाट		1 लाट
(iii)	फील्ड गुणवत्ता आश्वासन लैब, पर्यावरण एवं केमिकल लैब जो उपकरणों से पूर्ण हों	0.2	तदैव	0.2	3 सेट	-	3 सेट
(iv)	केबिन सहित रोड तुला सेतु	0.12	0.12	0.24	1	1	2
(v)	साइट के लिए डीजी सेट	0.25	0.25	0.5	5	5	10
(vi)	लाइटिंग मास्ट (मोबाइल टाइप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5	5	10
(vii)	साइट कार्यालय के लिए विद्युत की व्यवस्था (11 केवी)	0.25	तदैव	0.25	1 लाट	-	1 लाट
(viii)	साइट पर 220 केवी की मौजूदा लाइन का डाइवर्जन	7.5 (प्लांट एरिया के बाद मार्गाधिकार)	-	- (प्लांट एरिया के बाद मार्गाधिकार)	1 लाट	-	1 लाट
(ix)	निर्माण पावर सिस्टम, 33/11 केवी के सबस्टेशन तथा एलटी वितरण सिस्टम स्थापित करना	संबंधित सिस्टम में शामिल	संबंधित सिस्टम में शामिल	-	1 सेट	-	1 सेट

इस मामले में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.10 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद' करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एफटीडब्ल्यूजेड में व्यापार की गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए एसईजेड का सेक्टर 'एविएशन' से बदलकर 'एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद' करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.11 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम गचिबाउली, राजेंद्र नगर तालुक, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स सीएमसी लिमिटेड का अनुरोध

20.59 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 05 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 0.78 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने तथा 2.62 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 18.74 हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, वीएसईजेड की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, विकासक ने क्षेत्रफल में कटौती के लिए अनुरोध के कारण के रूप में प्रचालनात्मक सुविधा के लिए चारदीवारी में परिवर्तन तथा नगरपालिका नियमों का उल्लेख किया है। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध के संबंध में विकासक ने बताया है कि भूमि का यह टुकड़ा सीएमसी का है और इस भूमि से 75 एकड़ भूमि मूलत: आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनको प्रदान की गई है। तथापि इसे सीएमसी

लिमिटेड एसईजेड के 20.59 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस पर पड़ोसी के साथ विवाद चल रहा था और इसे अब न्यायालय द्वारा विकासक के पक्ष में घोषित किया गया है तथा बताया गया है कि भूमि के इस टुकड़े का स्वामी विकासक है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि विमुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं की गई है तथा प्रस्तावित वृद्धि एवं कटौती के बाद भी एसईजेड की सन्निकटता बनी रहेगी और यह भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करेगा।

एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.12 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) चिंचोली काटी, तालुक मोहल, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में 103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

103 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि एसईजेड की अधिसूचना के बाद भी एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए एक भी पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, पूछताछ करने के पता चला कि चिंचोली औद्योगिक क्षेत्र सोलापुर टाउन से दूर है। टेक्सटाइल यूनिटों में काम करने के लिए अपेक्षित कुशल जनशक्ति चिंचोली आने की इच्छुक नहीं है क्योंकि अक्कालकोट रोड पर एमआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्र जो सोलापुर टाउन के करीब है, में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.13 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) दुर्गापुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 मार्च, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल्स आईटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) प्लाट नंबर 202, सेक्टर केपी-5, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) प्लाट नंबर 03, सेक्टर 140 ए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एफटीडब्ल्यूज़ेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एचएफटीडब्ल्यूपीएल) का अनुरोध

(vi) प्लाट नंबर टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 मार्च, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

(vii) ग्राम जटाडे और सावले, जिला पनवेल, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स फामा एस्टेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) ग्राम सवरोली और धामनी, तालुक खालापुर, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जुवेंटस बिल्डर्स एंड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(ix) फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स परपेचुअल इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) प्लाट नंबर 1, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक हसइटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद्र एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 मई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(xii) हिंदूपुर, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रस्साई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) एनएच 1 पर ग्राम भगान, तहसील गनौर (सोनीपत) और ग्राम कुरार इब्राहिमपुर, तहसील सोनीपत, हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) ग्राम जागीर अम्मापालायम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xv) वाडापालनजी गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध
विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xvi) विश्वनाथपुरम गांव, होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xvii) नवलपट्टू गांव, त्रिचिरापल्ली तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xviii) इलांदैकुलम गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

मद संख्या 45.14 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) रजोदा गांव, जिला अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एन जी रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 230 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 217.14.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 मई, 2011 तक वैध था। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अधिसूचित एसईजेड को विकसित करने के लिए कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसके लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए माल एवं सेवाओं का अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। विकासक ने चारदीवारी का निर्माण पूरा कर लिया है तथा अन्य अवसंरचना कार्य जैसे कि सड़क, ड्रेनेज लाइन, कार्यालय भवन, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति आदि चरण 1 में प्रक्रियाधीन हैं। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि दो यूनिटों को एलओए प्रदान किया जा चुका है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने भी विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(ii) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 588 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 587.921 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 29 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि दो यूनिटें अनुमोदित हो चुकी हैं तथा उनका निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि जून 2012 तक परियोजना पूरी हो जाने की संभावना है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(iii) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 जून, 2006 के माध्यम से 54.22 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 57.09 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 जून, 2011 तक वैध था। विकासक ने बताया है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से अपेक्षित विभिन्न अनुमति एवं अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साइट पर कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "स्थापित करने के लिए सहमति" भी प्राप्त हो गई है। इसके अलावा निदेशक, नगर आयोजना, महाराष्ट्र राज्य द्वारा भूमि प्रयोग प्रस्ताव तथा विकास नियंत्रण विनियम भी संस्वीकृत एवं अनुमोदित किया जा चुका है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(iv) ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में कृषि आधारित रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोटोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 122 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 118.90.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 मई, 2011 तक वैध था। विकासक ने सूचित किया है कि 3 नवंबर 2009 को परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा एसईजेड का विकास कार्य शुरू करने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'स्थापित करने के लिए सहमति' अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विकासक ने यह भी बताया है कि जीआईडीसी द्वारा भूमि के आवंटन में शुरूआती विलंब तथा पिछले साल आर्थिक मंदी के कारण कंपनी समय से परियोजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं कर सकी। इसलिए विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(v) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(vi) कांडला एवं टूना, गांधीधाम, जिला भुज, गुजरात में पत्तन आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 मई, 2007 के माध्यम से 5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 6 मई, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड की अधिसूचना के लिए गुजरात सरकार से अपेक्षित प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किया जाना है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(vii) देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 नवंबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉनकोर्ड इनवेस्टमेंट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 13.44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 12 नवंबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि क्षेत्र आयोजना प्राधिकरण होने के कारण बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आयोजना प्राधिकरण (बीआईएएपीए) ने उस क्षेत्र के प्लान को संशोधित किया है जहां एसईजेड स्थित है। संशोधित प्लान के अनुसार अनुमोदित एसईजेड से होकर एक सार्वजनिक सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसकी वजह से विकासक को केवल 10.217 हेक्टेयर क्षेत्रफल को अधिसूचित करने के लिए अपने अनुरोध को संशोधित करना पड़ा। इसके अलावा विकासक ने बताया है कि वे एसईजेड की अधिसूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा अधिसूचित हो जाने पर वे विकास कार्य आरंभ करेंगे। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(viii) विलानकुरिची, कोयंबटूर उत्तर तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 16 जून, 2006 के माध्यम से 11.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 16 अप्रैल, 2008 को 10.84 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल लगभग 22.60 हेक्टेयर हो गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 15 जून, 2010 तक वैध था। विकासक ने सूचित किया है कि इस एसईजेड में उन्होंने सभी कार्य जैसे कि सड़क, चारदीवारी, पुलिया, स्ट्रीट लाइट का कार्य पूरा कर लिया है। इसके सह विकासक ने भी 1.7 मिलियन वर्गफीट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है जो अधिभोग के लिए तैयार है। विकासक ने बताया है कि वे प्रशासनिक ब्लाक, संप, वाटर लाइन के निर्माण कार्य के लिए ड्यूटी फ्री देशी सामग्री तथा आयात की जाने वाली सामग्री के लिए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(ix) मोहाली, पंजाब में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 19 जून, 2006 के माध्यम से 32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 32.374 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 18 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि अधिकृत प्रचालन पूरे हो गए हैं तथा फर्मास्युटिकल्स के निर्यात के लिए यूनिटों की स्थापना एवं प्रचालन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना का विकास किया गया है। चूंकि एसईजेड से अभी तक निर्यात शुरू नहीं हुआ है इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(x) हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने मास्टर प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त किया और वे अनुपालन से संबंधित सभी अन्य आवश्यकताओं का निर्वहन करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा एसईजेड में एक यूनिट भी अनुमोदित की गई है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xi) पुथुवयुपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में पोर्ट आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 285 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 285.8413 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 17 अप्रैल, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि अवसंरचना को पूरा करने तथा यूनिटों का प्रचालन आरंभ करने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने भी वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(xii) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 40.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 25 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि संपर्क सड़क, विद्युत एवं जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है तथा अन्य आंतरिक अवसंरचना का विकास प्रगति पर है। विकासक ने यह भी बताया है कि मंदी के कारण व्यवसाय ठप्प पड़ा था और इसलिए विकास कार्य पूरे नहीं हो सके। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने भी वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 45.15 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) इछापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 73.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2011 तक बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक ने अधिसूचित एसईजेड को विकसित करने के लिए कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसके लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए माल एवं सेवाओं का सीमांकन एवं अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा, विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 93 प्रतिशत अवसंरचना कार्य तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 82 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है और 73.12 करोड़ रुपए (31 जनवरी, 2011 तक की स्थिति के अनुसार) का कुल व्यय कर चुका है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि दो यूनिटों को एलओए प्रदान किया जा चुका है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 जुलाई, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 13 जुलाई, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि 12 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि विकास आयुक्त द्वारा इसकी 7 यूनिटों को एलओए प्रदान किया गया है तथा ऐसी संभावना है कि इस साल मार्च के अंत तक दो यूनिटें वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देंगी। विकासक ने बताया है कि उन्होंने पहले जीरो डिस्चार्ज की शर्त पर गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की थी। तथापि, जिन यूनिटों ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा प्लांट एवं मशीनरी स्थापित कर ली है उनके लिए कैपिटल प्रोजेक्ट पाइप लाइन में निस्सारी को डिस्चार्ज करने की आवश्यकता है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन सौंपा है तथा वे गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कैपिटल प्रोजेक्ट के संपर्क में हैं ताकि मामले का जल्दी से निपटारा किया जा सके जिससे कि अनुमति प्राप्त की जा सके और यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन तथा निर्यात शुरू कर सके। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) प्लॉट नंबर टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 30.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 30.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि 06 अप्रैल, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि चारदीवारी, साइट कार्यालय, डीसी कार्यालय तथा लघु विद्युत उप केन्द्र का निर्माण हो चुका है तथा आईटी / आईटीईएस संरचना का लगभग 250000 वर्गफीट पूरा होने की कगार पर है। विकासक ने यह भी कहा है कि आईटी सेक्टर ने आर्थिक मंदी के कारण कंपनी परियोजना पहले शुरू करने में समर्थ नहीं हो सकी। अब आईटी कंपनियों से व्यवसाय के लिए पूछताछ प्राप्त होने लगी है और चरण 1 को पूरा करने की योजना बनाई जा रही है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मद संख्या 45.16 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स तिरूनवेली इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	बहु उत्पाद्र, 1000 हेक्टेयर	खैटार गांव, तिरूनवेली जिला, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि भूमि के विशाल खंड को प्राप्त करने में कठिनाई तथा भूमि की अधिक लागत के कारण अपेक्षा के अनुसार परियोजना शुरू नहीं हो सकी। इसके अलावा अब वे परियोजना को सक्रियता से आगे बढ़ा रहे हैं तथा जल्दी से परियोजना आरंभ करने के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के विभिन्न हिस्सों में भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में एलओए की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2010 को समाप्त हो गई है। विकासक ने पहले सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया था। इसके अलावा यह मामला दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए परिपक्व हो चुका है। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए भी अनुरोध किया है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड को 27 फरवरी 2010 से अर्थात सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से दो साल तक अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।
2.	मैसर्स करैकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	पत्तन आधारित बहु उत्पाद, 243.506 हेक्टेयर	वंजोर गांव, तिरुपट्टिनम कम्यून, करैकल जिला, पांडिचेरी	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 26 फरवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने 208 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण लगभग 6 माह में कर लिया जाएगा। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन किया है जिसके लिए पुड्डूचेरी सरकार की सिफारिश प्रक्रियाधीन है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
3.	मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड	मल्टी सर्विसेज, 1182.19 हेक्टेयर	कृष्णगिरि जिला, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 26 फरवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने लगभग 3000 एकड़ की संस्पर्शी भूमि की शिनाख्त कर ली है तथा

				अधिग्रहण में कंपनी की सहायता के लिए एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए एक स्थानीय एजेंट के साथ करार किया है। इसके अलावा उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल के स्वामियों के साथ करार किया है तथा स्थानीय एजेंट के साथ वार्ता शुरू कर दी है। विकासक ने यह भी बताया है कि उनको सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाने और अधिग्रहण शुरू होने का विश्वास है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा संभावित साझेदारों से उत्साहवर्धक रिस्पांस मिल रहा है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
4.	मैसर्स गुजरात विट्टल इनोवेशन सिटी लिमिटेड (जीवीआईसीएल)	बहु उत्पाद, 1100	कलंगम-मरोली एरिया, तालुक उमरगम, वलसाड जिला, गुजरात	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 26 फरवरी 2011 तक वैध था। विकासक ने बताया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है तथा भू-स्वामियों के साथ सहमति वार्ता की जा रही है। इसलिए विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

मद संख्या 45.17 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने तथा भवन सामग्रियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स अरिहंत इनफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 मई, 2009 के माध्यम से उदयपुर जिला, राजस्थान में 220 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भवन सामग्रियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 25 फरवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड का लोकेशन उदयपुर जिला, राजस्थान से बदलकर वल्लभ नगर तहसील, जिला उदयपुर तथा इससे सटे दुंगाला तहसील, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के अंदर आसपास के किसी लोकेशन में करने के लिए भी अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि मूल योजना के अनुसार सरकारी भूमि के आवंटन के लिए गैर प्राथमिकता के कारण नए लोकेशन का चयन किया गया है। यह भी बताया गया है कि 408.87 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा अन्य 104.70 बीघा भूमि के पंजीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा 533.78 बीघा सरकारी भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर विकासक ने निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है :

(i) **प्रस्तावित एसईजेड का लोकेशन उदयपुर जिला, राजस्थान से बदलकर उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, राजस्थान करने के लिए संशोधन जारी करना**

(ii) **प्रस्तावित एसईजेड के कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए 25 फरवरी 2011 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाना**

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.18 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड	बहु उत्पाद, 5000 हेक्टेयर	झज्जर जिला, हरियाणा	एलओए दिनांक 15 फरवरी, 2008 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 14 फरवरी, 2011 तक वैध थी। विकासक ने बताया है कि उन्होंने 2671 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा हरियाणा सरकार से शेष भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है ताकि विकास कार्य शुरू करने के लिए न्यूनतम 1000 हेक्टेयर की संस्पर्शी भूमि के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा सके। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
2.	मैसर्स एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफटीडब्ल्यूजेड, 40 हेक्टेयर	कांडला, गुजरात	एलओए दिनांक 11 जनवरी, 2008 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 10 जनवरी, 2011 तक वैध थी। विकासक ने बताया है कि एफटीडब्ल्यूजेड के विकास के लिए प्रस्तावित भूमि के लिए राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण से समुचित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके अलावा कुछ अन्य भूखंडों की पहचान की गई है इसलिए भूस्वामियों को राजी करने तथा प्रलेखन को पूरा करने के लिए समय की आवश्यकता है। इसलिए विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
3.	मैसर्स रेवास पोर्ट लिमिटेड	बहु उत्पाद, 2850 हेक्टेयर	रेवास जिला, रायगढ़, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 26 जून 2007 के माध्यम से प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक को एक-एक साल का दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2010 तक वैध थी। विकासक ने बताया है कि उन्होंने 839.10 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। तथापि, इसके लिए राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतीक्षा है। इसलिए

				विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मद संख्या 45.19 : गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद्द एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल) का अनुरोध

10000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद्द एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 31 मार्च 2006 को प्रदान किया गया था। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई तथा 10000 हेक्टेयर के मूल अनुमोदन के विरुद्ध अधिकतम आकार को 5000 हेक्टेयर करके एसईजेड पर एक ऊपरी सीमा लगाई गई। 440 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को 5 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद 440.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा क्षेत्र के लिए एसईजेड अधिसूचित किया गया। झके बाद दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई गई जो 31 मार्च 2009 को समाप्त हो गई है। इसके बाद विकासक ने तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी 35वीं बैठक में भी इस अनुरोध पर विचार किया गया था तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बोर्ड ने नोट किया कि न तो राज्य सरकार से कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है और न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित है। इसके बाद 15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने फार्म 'ए' दाखिल करने तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशें भी प्राप्त करने के अधीन पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से नए सिरे से अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। विकासक ने नया फार्म 'ए' दाखिल किया। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त न होने के कारण नए सिरे से अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया जा सका। इस बीच एसईजेड नियमावली में संशोधन किए गए हैं जिससे दो साल की अवधि के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विकासक ने यह कहते हुए 31 मार्च 2015 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि भूमि अधिग्रहण समय साध्य प्रक्रिया है तथा उन्होंने विकास कार्य शुरू करने (संभावित समय 3 वर्ष) के लिए न्यूनतम 1000 हेक्टेयर की संस्पर्शी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण हेतु हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी बताया है कि 1060 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है परंतु यह संस्पर्शी नहीं है। इस मामले में सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता 30 मार्च 2009 को समाप्त हो गई है। विकासक के लिए 5वीं बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मांग करने का समय आ गया है। अनुमोदन बोर्ड को 31 मार्च, 2009 से वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।

मद संख्या 45.20 : एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स यूनीटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने पर विचार करना

मैसर्स यूनीटेक कोच्चि एसईजेड लिमिटेड को 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 23 अगस्त, 2006 को एलओए जारी किया गया था। इसके बाद दिनांक 3 अप्रैल 2008 की निरीक्षण रिपोर्ट में विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा सूचित किया गया कि केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य प्राधिकारी द्वारा अभी तक यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है तथा अनुमोदन के लिए लंबित है। उल्लेखनीय है कि केरल सरकार का प्रतिनिधि 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मौजूद था जब विचार करने के लिए प्रस्ताव को लिया गया था। तथापि, उनके द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। विकास आयुक्त की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है तथा विकास आयुक्त से रिपोर्ट मंगाई गई। इस बीच एलओए की वैधता अवधि 22 अगस्त 2011 तक बढ़ाई गई है।

अब विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक 5.28 हेक्टेयर भूमि का मालिक है। इसके अलावा उन्होंने 5.56 हेक्टेयर भूमि के लिए पट्टा विलेख भी पंजीकृत कराया है जिसका योग केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत निर्धारित 15 एकड़ की अधिकतम सीमा से अधिक है। इसलिए आवेदक कंपनी ने उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया है और इसलिए एसईजेड को प्रदान किए गए किसी अनुमोदन से अपूरणीय जटिलता का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार विकास आयुक्त ने सिफारिश की है कि समुचित नोटिस के बाद प्रदान की गई मंजूरी वापस ली जा सकती है। तथापि, विकासक ने औपचारिक मंजूरी को वापस लेने के लिए अनुरोध नहीं किया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.21 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

एलओए दिनांक 6 जनवरी, 2009 के माध्यम से विलायत, तालुक वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में 108 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तेल एवं गैस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद एसईजेड का सेक्टर बदलकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने संकल्प पारित किया है जिसमें एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन को वापस लेने तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तथा एसईजेड को अभिशासित करने वाली कानूनी रूपरेखा में अनिश्चितता के कारण औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का निदेश दिया गया है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) चाला, परडी तालुक, वलसाड जिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मेक्सस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2008 के माध्यम से चाला, परडी तालुक, वलसाड जिला, गुजरात में 11.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मेक्सस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में विश्व के इस भाग में माहौल उत्साहवर्धक नहीं है। विकासक ने यह भी बताया है कि उक्त एसईजेड के लिए मांगा गया अनुमोदन एसईजेड समिति द्वारा 20.79 हेक्टेयर से 11.11 हेक्टेयर की स्वप्रेरणा से कटौती थी जिसकी वजह से आर्थिक, सौंदर्य की दृष्टि से परियोजना की लाभप्रदता तथा विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने की संभावना पर प्रश्न चिह्न लग रहे हैं।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.22 : अपने मौजूदा मंजूरी पत्र में सिगरेट को शामिल करने / ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स ला स्पिरिट लिकर ट्रेडिंग कंपनी, केएएसईजेड का अनुरोध

मैसर्स ला स्पिरिट लिकर ट्रेडिंग कंपनी को मंजूरी पत्र दिनांक 24 अगस्त 2010 के माध्यम से सभी प्रकार के लिकर (आईटीसी-एचएस 2208) के व्यापार के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी।

यूनिट ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अपने मौजूदा मंजूरी पत्र में सिगरेट (जो आईटीसी-एचएस 2208 के तहत शामिल है) के समावेशन के लिए अनुरोध किया था। यूनिट ने सूचित किया है कि निर्मित उत्पादों अर्थात सिगरेट की संपूर्ण मात्रा का आयात विदेशों से केएएसईजेड में किया जाएगा और केएएसईजेड से भारत में अन्य बांडेड वेयरहाउस तथा विदेशी वेजल को निर्यात किया जाएगा। तथापि, वे विदेशी मुद्रा में भुगतान (ईईएफसी खाता से) पर ड्यूटी फ्री शॉप तथा कांडला बंदरगाह एवं मुंद्रा बंदरगाह पर आने वाले विदेशी वेजल को सप्लाई करेंगे।

11 अगस्त 2010 को आयोजित केएएसईजेड के लिए अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यूनिट अनुमोदन समिति ने मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया क्योंकि प्रस्ताव स्वत: अनुमोदन की परिधि में नहीं आता है। इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने का अनुरोध किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.23 : दूरसंचार / सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के विनिर्माण के लिए एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हुवेई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स हुवेई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दूरसंचार / सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों के विनिर्माण के लिए एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है। विनिर्माण प्रक्रिया में 30 से 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन शामिल होगा तथा पार्ट्स, कंपोनेंट तथा साफ्टवेयर वैश्विक स्तर पर तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से भी बनाए जाएंगे। निर्मित उपकरणों की बिक्री घरेलू क्षेत्र में की जाएगी और/या एसईजेड यूनिट से भारत से बाहर निर्यात किया जाएगा।

फर्म ने इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है कि एसईजेड यूनिट से जो उपकरण क्लियर किए जाएंगे उन्हें भारतीय मूल का माल समझा जाएगा और इसलिए एसईजेड से अंतिम उत्पाद के डीटीए में क्लियरेंस पर तथा विनिर्माण के बाद केवल सामान्य सीमा शुल्क (पाटनरोधी शुल्क से भिन्न) लगेगा तथा अंतिम उत्पाद का अंग बनने वाले इनपुट पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगना चाहिए।

चूंकि यह एक प्रमुख नीतिगत निर्णय है इसलिए इसे निदेश के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है।

मद संख्या 45.24 : निषिद्ध मदों के आयात के लिए एसईजेड की यूनिटों का अनुरोध

(i) प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के आयात के लिए मैसर्स बायोमैक्स फ्यूल्स लिमिटेड जो वीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

बायो डीजल तथा इसके उपोत्पादों (ग्लिसरीन, मिक्स्ड कार्टेनॉयड) के विनिर्माण के लिए मैसर्स बायोमैक्स फ्यूल्स लिमिटेड जो वीएसईजेड की एक यूनिट है, को 19 अक्टूबर 2006 को एलओए जारी किया गया था। यूनिट ने अब तक 170.00 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यूनिट ने 26 जून 2010 को उत्पादन आरंभ किया तथा 15.48 करोड़ रुपए का निर्यात कर चुकी है।

यूनिट क्रूड पाम ऑयल (सीपीओ) का आयात कर रही है जो बायो डीजल के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है। यूनिट ने बताया है कि सीपीओ की वर्तमान कीमतें काफी बढ़ गई हैं तथा वे संतुलन-स्तर बिंदु पर भी पहुंचने की स्थिति में नही है तथा बायोडीजल का निर्माण करने वाली यूनिटों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीपीओ के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण गंभीर आघात झेलने पड़ रहे हैं।

बायोडीजल का निर्माण करने वाली अन्य यूनिटों से होड़ करने के लिए यूनिट ने बायोडीजल के निर्माण के लिए अन्य विकल्पों को आजमाया था। इस सिलसिले में उन्होंने वैकल्पिक कच्चा माल अर्थात प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रयुक्त कुकिंग ऑयल सस्ता है तथा अन्यथा किसी काम का नहीं है, इसलिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल का प्रयोग करने से सस्ते दर पर बायोडीजल का निर्माण करने वाली यूनिटों को मदद मिलेगी जिससे वे अन्य यूनिटों के साथ सफलतापूर्वक होड़ कर सकती हैं। इसलिए यूनिट ने प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के आयात के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूनिट ने यह भी बताया है कि आयातित कुकिंग ऑयल का प्रयोग केवल यूनिट से निर्मित बायोडीजल के निर्यात के लिए किया जाएगा।

निर्यात आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार प्रयुक्त कुकिंग ऑयल जैसी मदें 1518 00 40 के तहत शामिल हैं जो आयात के लिए निषिद्ध मद है। यूनिट ने बायोडीजल के निर्माण के लिए निषिद्ध मद का आयात करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

7 सितंबर 2010 को अधिसूचित एसईजेड नियमावली में संशोधन के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत से बाहर किसी स्थान से विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों का आयात किया जा सकता है। इसलिए विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(ii) चर्बी / चर्बी तेल के आयात के लिए अत्च्युतापुरम मंडल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी एसईजेड की यूनिट मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

बायोडीजल तथा इसके उप उत्पादों अर्थात ग्लिसरीन, अवशिष्ट के विनिर्माण के लिए मैसर्स साउदर्न आनलाइन बायो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 14 दिसंबर 2007 को एलओपी प्रदान किया गया है। यूनिट ने अब तक 93 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यूनिट ने 9 सितंबर 2010 को उत्पादन आरंभ किया तथा 20 लाख रुपए का निर्यात कर चुकी है। यूनिट ने बताया है कि वह क्रूड पाम ऑयल (सीपीओ) का आयात कर रही है जो बायोडीजल के निर्माण के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। यूनिट ने बताया है कि सीपीओ की वर्तमान कीमतें काफी बढ़ गई हैं तथा वे संतुलन-स्तर बिंदु पर भी पहुंचने की स्थिति में नही है तथा बायोडीजल का निर्माण करने वाली यूनिटों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीपीओ के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण गंभीर आघात झेलने पड़ रहे हैं।

यूनिट ने यह बताया है कि बायोडीजल का निर्माण करने वाली अन्य यूनिटों से होड़ करने के लिए यूनिट ने बायोडीजल के निर्माण के लिए अन्य विकल्पों को आजमाया था। इस सिलसिले में उन्होंने वैकल्पिक कच्चा माल अर्थात मटन चर्बी तथा चर्बी तेल से बायोडीजल का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जिनमें से दोनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किफायती दर पर मंगाए जा सकते हैं। इससे बायोडीजल का निर्माण करने वाली यूनिटों को उत्पादन करने में मदद मिलेगी तथा कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए यूनिट ने मटन चर्बी तथा चर्बी तेल के आयात के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूनिट ने यह भी बताया है कि आयातित मटन चर्बी तथा चर्बी तेल का प्रयोग केवल यूनिट से निर्मित बायोडीजल के निर्यात के लिए किया जाएगा।

निर्यात एवं आयात के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार मटन चर्बी जैसी मदें 15020010 के तहत शामिल हैं जबकि चर्बी तेल एचएस कोड 15030000 के तहत शामिल है तथा इनमें से दोनों आयात के लिए निषिद्ध मदों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

7 सितंबर 2010 को अधिसूचित एसईजेड नियमावली में संशोधन के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत से बाहर किसी स्थान से विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों का आयात किया जा सकता है। इसलिए विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 45.25 : रॉ साल्ट, इंडस्ट्रियल साल्ट, रिफाइंड फ्री फ्लो आयोडाइज्ड साल्ट, शुगर ग्रेन, दालों, मसालों, अनाज, आंटा तथा शहद के व्यापार के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स केशवानी एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

मैसर्स केशवानी एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, मांडवी (कच्छ) ने रॉ साल्ट, इंडस्ट्रियल साल्ट, रिफाइंड फ्री फ्लो आयोडाइज्ड साल्ट, शुगर ग्रेन, दालों, मसालों, अनाज, आंटा तथा शहद के व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया था।

परियोजना की प्रस्तावित लागत 50 लाख रुपए थी। 100 लाख रुपए के निवल विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ 400 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा जावक के विरुद्ध 5 साल की अवधि के लिए प्रक्षेपित निर्यात का एफओबी मूल्य 500.00 लाख रुपए है।

24 फरवरी 2011 को आयोजित 43वीं बैठक में कांडला एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मैसर्स केशवानी एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि साल्ट और शहद को छोड़कर अन्य मदों के लिए अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है तथा शर्त यह है कि विनियमित मदों जैसे कि शुगर (एचएस कोड नंबर 17011110, 17011120,17011190,17019100,17019910,17019990), ग्रेन ~~(एचएस कोड नंबर 41071100, 41071200, 41071900)~~ (एचएस कोड नंबर 11031300,11042300,11042900) दाल (एचएस कोड नंबर 07131000, 07132000, 07133910, 07133990), मसाला (एचएस कोड नंबर 09041110, 09411120, 09041130, 09042010, 09042020), अनाज आंटा (एचएस कोड नंबर ~~11031300,11042300,11042900~~) (एचएस कोड नंबर 11021000, 11022000, 11029000) का केवल देश के बाहर से आयात किया जाएगा तथा रीपैकिंग के बाद निर्यात किया जाएगा। इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है।

तदनुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

टिप्पणी : ऊपर दर्शाए गए संशोधन विकास आयुक्त, केएएसईजेड का पत्र दिनांक 24 मार्च 2011 की प्राप्ति के बाद किए गए हैं।

मद संख्या 45.26 : तीसरे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 29 मई 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 30 मई 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने विनिर्माण की गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 29 मई 2010 तक बढ़ाई थी। विकास आयुक्त, दाहेज ने बताया है कि यूनिट अपनी गतिविधि शुरू नहीं कर सकी क्योंकि प्लाट पर अतिक्रमण (आश्रम एवं मंदिर) के मुद्दे थे। इसके अलावा भारी मानसून के कारण यूनिट के प्लाट तक जाने वाली एसईजेड की आंतरिक संपर्क सड़क का निर्माण विलंब से पूरा हुआ। विकास आयुक्त ने बताया है कि उपर्युक्त कठिनाइयों के बावजूद यूनिट ने अपने प्लाट के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पूरा करा लिया है जिससे आश्रम अलग हो गया है परंतु यूनिट अपनी परियोजना पूरी नहीं कर सकी। इसलिए यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार, विकास आयुक्त इस शर्त के अधीन एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकते हैं कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, इस मामले में उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण यूनिट दो तिहाई कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं हुई है। विकास आयुक्त ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एल साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.27 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 5 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज को एलओपी दिनांक 6 मार्च 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में एलएनजी से सी2, सी3 और सी4 की एक रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 5 मार्च 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने एल साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा सभी आयातित एवं देशज मदों की रीडिजाइन एवं प्रापण का कार्य भी पूरा हो गया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यह प्लांट एक अनोखी प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसे विश्व में पहली बार कार्यान्वित किया जा रहा है और इसलिए सिरदर्द पैदा करने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओएनजीसी शेष कार्यों को पूरा करने तथा प्रचालन यथाशीघ्र शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है तथा अगले 1 से 4 माह में शेष कार्यों के पूर्ण हो जाने की संभावना

है। इसलिए विकास आयुक्त ने 6 मार्च 2011 से एक साल की अगली अवधि के लिए (अर्थात 5 मार्च 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एल साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 13 मार्च 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सर्किट सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा इलेक्ट्रानिक के लिए विकसित किए गए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट तथा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण एवं आयात के लिए एलओपी दिनांक 14 मार्च 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स सर्किट सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था।

इसके बाद यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने समय समय पर कुल तीन साल की अवधि के लिए यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 मार्च 2011 तक वैध है। यूनिट ने एल साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने सभी संबद्ध सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, अपेक्षित प्लांट एवं मशीनरी का आयात कर लिया है तथा विद्युत के कनेक्शन भी प्राप्त कर लिए हैं। तथापि, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए यूनिट ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभी तक अपेक्षित एनओसी प्राप्त नहीं किया है। विकास आयुक्त्ने यह भी सूचित किया है कि विकासक के विरुद्ध स्थानीय निवासियों के आंदोलन तथा वैश्विक मंदी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ था। इसलिए विकास आयुक्त ने 14 मार्च 2011 से एक साल की अगली अवधि के लिए (अर्थात 13 मार्च 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एल साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.28 : सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए मैसर्स रहेजा हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

103.0154 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 मार्च, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अनुमोदन के लिए मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था जिस पर 25 फरवरी, 2010 को यूनिट अनुमोदन समिति

में विचार किया गया। बैठक में वरिष्ठ टाउन प्लानर ने अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र में पड़ने वाले राजस्व रास्ते के संबंध कुछ समस्याओं का उल्लेख किया था। विकासक ने सूचित किया था कि वे वैकल्पिक रास्ता के लिए संबंधित विभाग से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

इसके बाद विकासक ने संशोधित मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था जिस पर 01 अक्टूबर, 2010 को यूनिट अनुमोदन समिति में चर्चा हुई तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में दर्शाए गए दो राजस्व रास्तों तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में एक राजस्व रास्ता सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। वरिष्ठ टाउन प्लानर द्वारा यह भी बताया गया कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में दूसरे आदमी की भी भूमि है। इसके लिए मार्गाधिकार, जो विकासक द्वारा दर्शाया गया है, राजस्व रास्ता / हुडा रोड की बजाय दूसरे आदमी की भूमि से होते हुए है। विकासक ने यूनिट अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उक्त भूमि खरीदी जा रही है और एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल की जाएगी। यूनिट अनुमोदन समिति ने मास्टर प्लान में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा और इसलिए विकासक द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान के अनुमोदन को आस्थगित कर दिया। यूनिट अनुमोदन समिति ने विकासक को अनुदेश संख्या 27 के अनुसरण में अंडरपास का निर्माण करके प्रसंस्करण क्षेत्र में सन्निकटता की शर्त में ढील प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने की भी सलाह दी। तद्नुसार विकासक ने सन्निकटता की शर्त में ढील देने का अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि प्रस्तावित अंडरपास प्रसंस्करण क्षेत्र की सन्निकटता को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि टॉप पर लैंडस्केपिंग द्वारा यह ढक जाएगा और दीवार सटी हुई होगी।

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा आस्थगित कर दिया गया और अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया कि वे भूमि का निरीक्षण करें और अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 5 (पृष्ठ 66 से 71) के रूप में संलग्न है।

इसलिए प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) सन्निकटता की शर्त में छूट के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा का अनुरोध

20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में बाबरा बंकीपुर का राजस्व गांव, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स वेलग्रो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक्स / आईटी एवं आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया था कि राजस्व के अभिलेखों में भूमि का विभाजन किया जाना है जो एसईजेड का अधिसूचना से पूर्व कर लिया जाएगा। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बाबरा बंकीपुर का राजस्व गांव, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 24.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वेलग्रो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक्स / आईटी एवं आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया तथा यह शर्त रखी गई कि अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जब स्पष्ट स्वामित्व एवं कब्जा के साथ राजस्व के रिकार्डों में भूमि का विभाजन हो जाएगा। 21 अप्रैल, 2008 को एलओए जारी किया गया था।

विकासक ने पहले यह सूचित किया था कि भूमि का अब बंटवारा कंपनी के नाम में हो गया है तथा राजस्व संख्या 39/2/2 (0-8) और 39/3/2/2 (0-8) में पड़ने वाले दो निजी रास्ते जो एसईजेड की परियोजना भूमि से गुजरते हैं, का स्वामित्व संयुक्त रूप से कंपनी / सहयोगियों तथा निजी व्यक्तियों के हाथ में है। यह भी सूचित किया गया कि निजी रास्ते राजस्व रास्ते नहीं हैं और आम रास्ता नहीं हैं तथा भस्वामियों के केवल निजी प्रयोग के लिए हैं जिन्होंने एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए उक्त निजी रास्तों से अंडरपास

बनाने के लिए अपनी अनापत्ति प्रदान कर दी है। इसलिए विकासक ने सन्निकटता के मानदंडों में छूट प्रदान करने तथा दो अंडरपास के माध्यम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित एसईजेड भूमि को एसईजेड के प्रयोजनार्थ सन्निकट मानने का अनुरोध किया था।

11 फरवरी, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

विकासक ने यह कहते हुए सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए पुन: अनुरोध किया है कि उन्होंने विकास योजना में संशोधन किया है तथा संशोधित योजना के अनुसार, दो निजी रास्ते केवल गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से गुजर रहे हैं और विकासक ने इन निजी रास्तों पर अंडरपास के निर्माण के माध्यम से उनकी सन्निकटता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विकासक ने कहा है कि एसईजेड परियोजना की संपूर्ण भूमि की सन्निकटता स्थापित करने के लिए इन निजी रास्तों को बने रहने देना आवश्यक है। आसपास की भूमि के मालिक अंडरपास के निर्माण के लिए अपनी अप्रतिसंहार्य एवं परम अनापत्ति पहले ही प्रदान कर चुके हैं।

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा आस्थगित कर दिया गया और अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को निदेश दिया कि वे भूमि का निरीक्षण करें और अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 6 (पृष्ठ 72 से 73) के रूप में संलग्न है।

इसलिए प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.29 : डीटीए यूनिटों के लिए जॉब वर्क आधार पर विनिर्माण का कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स स्पैरो टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकाट द्वारा विकसित किए जा रहे हाइटेक एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

निम्नलिखित उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स स्पैरो टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड को दो एकड़ भूमि आवंटित की गई है :

(i) प्लास्टिक इंजेक्शन माउल्डिंग
(ii) वायर - वाउंड कंपोनेंट
(iii) इलेक्ट्रानिक असेंबली

यूनिट ने बताया है कि परियोजना में एसईजेड तथा इसके आसपास की यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्पना है जिसमें मैसर्स सैमसंग इंडिया और मैसर्स डेल इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा मैसर्स सैमसंग इंडिया और मैसर्स डेल इंडिया के एसईजेड के बाहर शिफ्ट हो जाने से यूनिट के लिए एसईजेड में प्रचालन करते हुए इन कंपनियों को कंपोनेंट की आपूर्ति करना अलाभप्रद हो गया है। यूनिट ने बताया है कि सभी कच्चा माल देशज रूप में उपलब्ध है और यूनिट किसी ड्यूटी फ्री सामग्री का आयात नहीं करेगी, जबकि घरेलू ग्राहकों को इसके उत्पादों की बिक्री पर लागू सीमा शुल्क प्रभारित किया जाएगा। इसलिए यूनिट ने अपनी सुविधा में डीटीए यूनिटों के लिए जॉब वर्क आधार पर विनिर्माण का कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है ताकि यह लाभप्रद हो सके।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.30 : बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, हार्ड आर्मर प्लेट और बम ब्लैंकेट के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स आर आर टेक्सनिट प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने सूचित किया है कि मैसर्स आर आर टेक्सनिट प्राइवेट लिमिटेड ने बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, हार्ड आर्मर प्लेट और बम ब्लैंकेट के निर्माण के लिए एनएसईजेड में एक रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। डीआईपीपी ने बताया है कि एसईजेड में रक्षा यूनिटें स्थापित करने पर चर्चा के लिए 30 नवंबर 2010 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड एसईजेड में रक्षा यूनिटें स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकरण है और अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर अनुमोदन बोर्ड के कार्यवृत्त की प्राप्ति में डीआईपीपी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसलिए डीआईपीपी ने अनुरोध किया है कि अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त रक्षा संबद्ध मदों के विनिर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जाए। तद्नुसार मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.31 : रक्षा ऑफसेट सुरक्षा एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा यूनिटों को आपूर्त की जाने वाली मदों को शामिल करने के लिए एलओए की ब्राडबैंडिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सीएसईजेड) की एक यूनिट है, का अनुरोध

निम्नलिखित मदों के विनिर्माण / मरम्मत के लिए सीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 6 अप्रैल 2006 को एलओपी प्रदान किया गया था :

1. **(क) केबल टीवी नेटवर्किंग उत्पाद, कंप्यूटर नेटवर्किंग उत्पाद, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, संचार उपकरण।**

   (ख) पीसीबी की रिपेयरिंग / रिफर्बिशिंग / रिकंडिशनिंग / रिमैन्युफैक्चरिंग

2. **(क) फाइबर ऑप्टिक कपलर; फाइबर ऑप्टिक केबल असेंबली, ऑप्टिकल असेंबली, आरओएसए, टीओएसए, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डीएफबीए, एफबीए तथा ट्रांसपोंडर।**
   (ख) काम न करने वाले ट्रांसपोंडर, ट्रांसमीटर, ट्रांससीवर और रिसीवर की रिपेयरिंग / रिफर्बिशिंग / रिकंडिशनिंग / रिमैन्युफैक्चरिंग

3. **केबल असेंबली**
4. **फाइबर ऑप्टिक मक्स / डिमक्स, फाइबर ऑप्टिक स्विच / एफडीडीआई, फाइबर ऑप्टिक अटेनुएटर, फाइबर आप्टिक एनक्लोजर।**
5. **मिनी ओवन, आरएफ / माक्रोवेव एंपलीफायर, डिजिटल थर्मामीटर, पीसीबी असेंबली, ऑसिलेटर, ईएमआई फिल्टर, फ्लेक्स कॉइल, एमआर के लिए कॉइल, सब असेंबली (कॉ-ऐक्सियल केबल असे, मोल्डेड पार्ट्स एंड हार्नेस), फ्लेक्स कॉइल की सर्विसिंग, एमआर के लिए कॉइल एवं सब असेंबली, थर्मल राइटर / प्रिंटर, थर्मल राइटर एवं प्रिंटर की सर्विसिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग सेवाएं, प्रोब टेस्टर के लिए सब असेंबली, उपर्युक्त सभी मदों के स्पेयर्स / पार्ट्स (कच्च माल)।**
6. **विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक उत्पाद, हाई लेवल असेंबली, बॉक्स बिल्ड इलेक्ट्रानिक उपकरण, एटीएम, सर्विलांस मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर कनवर्जन प्रोडक्ट, ट्रांसफार्मर असेंबली, बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रानिक काउंटिंग मशीन, स्वास्थ्य देखरेख, संचार, औद्योगिक, आटोमोटिव,**

एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा आदि में प्रयोग के लिए ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम

7. विनिर्माण की उपर्युक्त मदों के पार्ट्स, सब असेंबली और असेसरीज
8. विनिर्माण की मदों की रिपेयरिंग / रिफर्बिशिंग / रिकंडिशनिंग / रिमैन्यूफैक्चरिंग
9. विनिर्माण की मदों के लिए कंपोनेंट तथा स्पेयर पार्ट्स
10. विभिन्न प्रकार के जांच उपकरण और उनके पार्ट्स, सब असेंबली, असेसरीज
11. पैकिंग कार्टन
12. आइसोलेटेड स्विच मोड ड्राइवर

यूनिट ने अपने मंजूरी पत्र में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, विद्युत आपूर्ति, केबल और वायर हार्नेस, बॉक्स बिल्ड वायर्ड स्ट्रक्चर, मेटल एन्क्लोजर को शामिल करने के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड से अनुमति प्रदान करने की मांग की है ताकि रक्षा ऑफसेट सुगमता एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा संगठनों को आपूर्ति की जा सके। उपर्युक्त के लिए मदों का विस्तृत विवरण, आशयित प्राप्तकर्ता, करार की अवधि तथा पूंजी माल एवं कच्चे माल की आवश्यकता इस प्रकार है :

1. मदों का विवरण	मूल्य (लाख रुपए में)
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली	300
विद्युत आपूर्ति	100
बॉक्स बिल्ड वायर्ड स्ट्रक्चर	100
मेटल एन्क्लोजर	200
केबल एवं वायर हार्नेस	50
कुल	750
2. आशयित प्राप्तकर्ता	थालेस, फ्रांस, राफेल, फ्रांस, इजरायल एयरोस्पेस उद्योग, इजरायल
3. अवधि	3 वर्ष
4. पूंजी माल : फ्लाइंग प्रोब 1	 150 लाख रुपए
5. कच्चा माल एवं कंपोनेंट	400 लाख रुपए

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने बताया है कि चूंकि प्रस्ताव रक्षा ऑफसेट सुगमता एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा यूनिटों को आपूर्ति के लिए है इसलिए इसके लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है। इसलिए प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.32 : प्रवेश कर के संबंध में देयता के बारे में केन्द्रीय बिक्री अधिनियम 1956 के तहत फार्म 1 के निरसन पर उत्पन्न देयता के संबंध में बांड / बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स जेएसएल लिमिटेड का अनुरोध

कलिंग नगर, उड़ीसा में 142.115 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जेएसएल लिमिटेड द्वारा स्टेलनेस स्टील के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 28 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया था। 16 सितंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध को

मंजूरी प्रदान की गई तथा शर्त रखी गई कि विकास आयुक्त प्रमाणित करेंगे कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर लाभों को लौटा दिया है।

विकासक ने सूचित किया है कि अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में यूनिट अनुमोदन समिति ने ड्यूटीज के रिफंड के अधीन एसईजेड यूनिट की डिबांडिंग के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा विकासक एवं यूनिट द्वारा एसईजेड के रूप में प्राप्त किए गए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर लाभों के संबंध में कर देयता का मूल्यांकन किया जा चुका है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर उपायुक्त, भुवनेश्वर - 1 (जो निर्दिष्ट अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं) द्वारा की गई मांग का पूर्णत: भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा एसईजेड को विमुक्त करने तथा डिबांड करने के लिए एनओसी भी जारी कर दी गई है। इस प्रकार यूनिट ने सूचित किया है कि केन्द्रीय अधिनियमों के तहत उन्होंने अपनी देयता का निर्वहन कर लिया है। यह भी सूचित किया गया है कि इस प्रकार भुगतान की गई राशि एसईजेड विकासक एवं यूनिट के रूप में उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों का पर्याप्त भाग है।

विकासक ने बताया है कि फार्म 1 के आधार पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत तथा प्रवेश कर के संबंध में लाभ भी प्राप्त किए गए हैं। हालांकि क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त के कार्यालय ने वाणिज्यिक कर आयुक्त, उड़ीसा सरकार से सीएसटी लाभ का आकलन करने का अनुरोध किया था, आयुक्त ने यह राय व्यक्त की है कि चूंकि फार्म 1 ऐसे माल के संबंध में जारी किया है जिसका मूवमेंट उड़ीसा से भिन्न राज्य से शुरू हुआ है इसलिए ऐसे शुल्क का सत्यापन या आकलन करने के लिए कानून के तहत उनके पास प्राधिकार नहीं है। तद्नुसार 11 राज्यों को शुल्क का भुगतान किए जाने की आवश्यकता है, जहां से माल खरीदा गया है। इस समय एसईजेड अधिनियम के तहत ऐसी राशि भेजने के लिए कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की गई तथा प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य में भुगतान करना समय साध्य तथा दुष्कर प्रक्रिया होगी।

विकासक ने यह भी सूचित किया है कि माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 17 जुलाई 2008 के अनुसार उन्होंने प्रवेश करके भुगतान के बगैर माल प्राप्त किया है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में विभिन्न उद्योगों के लिए प्रवेश करके भुगतान के संबंध में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 3 फरवरी 2010 के माध्यम से निदेश दिया है कि मासिक विवरणी में देय प्रवेश कर की एक तिहाई राशि का भुगतान किया जाए।

यूनिट ने यह भी बताया है कि प्रवेश कर एसईजेड विकासक / यूनिट के रूप में प्राप्त किए गए लाभ का रिफंड नहीं है क्योंकि किसी राज्य अधिनियम के तहत ऐसा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। इसलिए प्रवेश कर की देयता का निर्वहन करने से संबंधित मुद्दा डिबांडिंग के अनुमोदन में निर्धारित शर्त के रूप में लौटाए जाने वाले करों / शुल्कों के पैरामीटर से बाहर है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने विमुक्तीकरण के संबंध में प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से 6.4 करोड़ रुपए के सीएसटी की आकलित राशि के लिए बांड / बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए विकासक ने अनुमोदन बोर्ड से मामले पर विचार करने तथा प्रक्रिया की गति तेज करने एवं राजस्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएसटी के तहत देय राशि के संबंध में बांड / बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कंपनी को अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

चूंकि निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा एसईजेड के विमुक्तीकरण तथा डीबांडिंग के लिए एनओसी जारी किया गया है इसलिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने बैंक गारंटी के साथ समतुल्य राशि के लिए बांड स्वीकार करने पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की है तथा यह शर्त रखी है कि बांड का मोचन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित राज्यों से एनओसी प्राप्त नहीं हो जाता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.33 : तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। 23 फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने इसके और इसकी मूल कंपनी (हैंसेन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल, बेल्जियम) द्वारा विनिर्मित गियर यूनिटों की मरम्मत करने के लिए यूनिट को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने किसी तीसरे पक्ष - भारतीय एवं विदेशी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत करने और डीटीए में स्थित ग्राहकों को मरम्मत किए गए गियर बॉक्स वापस भेजने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। यूनिट ने निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

(क) डीटीए से प्राप्त गियर बॉक्स (विदेशी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित) की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग करना और मरम्मत / रिइंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद डीटीए को वापस भेजना; और

(ख) डीटीए से प्राप्त गियर बॉक्स (किसी डीटीए विनिर्माता द्वारा विनिर्मित) की मरम्मत करना और तीसरे पक्ष के विनिर्माताओं (घरेलू एवं विदेशी) द्वारा विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत करना और मरम्मत / रिइंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद उसे डीटीए को वापस भेजना

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा विभिन्न स्रोतों से गियर बॉक्स की संभावित मात्रा, जिनकी मरम्मत / सर्विसिंग की जाएगी, सेवाओं के लिए भुगतान की कार्यविधि तथा डीटीए से आने वाले गियर बॉक्स के संबंध में ड्यूटी के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर यूनिट द्वारा स्पष्टीकरण के लिए आस्थगित कर दिया गया। यूनिट से सूचना प्राप्त होने पर 14 जनवरी 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले पर पुन: विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड तथा क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्राधिकारी यूनिट के परिसरों का दौरा करेंगे तथा मुद्दे का आकलन करेंगे और संभावित समाधान तलाशने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया। अब इस मामले में विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 7 (पृष्ठ 74 से 86) के रूप में संलग्न है। तदनुसार, मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 45.34 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच की अपील (इसे 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात ब्लड टेस्टिंग एनलाइजर्स और स्पेयर पार्ट्स तथा एसेसजरीज के विनिर्माण एवं निर्यात के एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 26 मार्च, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर

दिया गया क्योंकि समिति ने नोट किया कि प्रमोटर को उल्लंघन के लिए एफटी (डीएंडआर) के तहत दंडित किया गया है। अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अनुमोदन बोर्ड ने अपील पर विचार किया। अपीलकर्ता उपस्थित नहीं था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

अब मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने यह कहते हुए अभिवेदन दिया है कि अधिकृत प्रतिनिधि के वहां मौजूद होने के बावजूद कुछ भ्रम के कारण अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के आधार पर उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपने मामले को रखने का अवसर दिया जाए। 14 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील रखी गई। अपीलकर्ता का प्रतिनिधि अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक तक आस्थगित करने की मांग की। तद्नुसार अपील आस्थगित कर दी गई।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: प्रस्तुत है।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध (इसे 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया था)

टेक्सटाइल एंसिलरीज, फिनिशिंग केमिकल्स आदि, उसके एढेसिव्स एवं केमिकल्स के विनिर्माण के लिए सूरत एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 21 जुलाई, 2005 को मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड द्वारा समय समय पर एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 31 मार्च, 2010 तक वैध थी। यूनिट ने विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड से 31 दिसंबर, 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 08 सितंबर, 2010 के माध्यम से वैधता अवधि पुन: नहीं बढ़ाई क्योंकि यूनिट ने एसईजेड नियमावली के नियम 19(4) के तहत अपेक्षा के अनुसार वैधता अवधि या बढ़ाई गई वैधता अवधि के अंदर उत्पादन / अधिकृत प्रचालन आरंभ नहीं किया था। यूनिट को यह भी सूचित किया गया कि एलओपी की वैधता अवधि एसईजेड नियमावली के नियम 19(5) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त हो गई है।

उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड ने 31 मार्च, 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अपील पर विचार किया गया तथा अनुमत नहीं किया गया और बोर्ड ने नोट किया कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद सूख्त एसईजेड की यूनिट ने ऐसा कोई विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है कि वे विनिर्माण तथा निर्यात कार्य शुरू करेंगे। इसके अलावा अपील का बचाव करने के लिए यूनिट का प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ था।

अब यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड से अपने निर्णय पर पुनिर्विचार करने तथा निम्नलिखित कारणों से 31 दिसंबर 2011 तक वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है :

(i) किसी निजी सुनवाई के बगैर तथा मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किए बगैर उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई है।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं तथा परियोजना कार्य का 75 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया है और 27 लाख रुपए की अनुमानित लागत में से लगभग 20 लाख रुपए का निवेश किया है।

(iii) वे बढ़ाई गई वैधता अवधि के अंदर परियोजना का निष्पादन पूरा कर लेंगे और इसके बाद किसी और समय विस्तार की मांग नहीं करेंगे।

(iv) अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) को संशोधित किया गया है, जिससे अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है। इस संशोधन के जारी होने के फलस्वरूप अनुमोदन बोर्ड 4 साल के बाद एसईजेड यूनिटों की वैधता अवधि बढ़ा रहा है।

यूनिट की अपील पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय की समीक्षा के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स मरवाल इंडिया, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध (इसे 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया था)

टेक्सटाइल मशीनरी (वाटर जेट) तथा यांत्रिक कंपोनेंट (आटो कंपोनेंट) के विनिर्माण के लिए सूरत एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मरवाल इंडिया को 24 मार्च, 2006 का एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड द्वारा समय समय पर एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 23 मार्च, 2010 तक वैध थी। यूनिट ने विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड से तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2010 के माध्यम से वैधता अवधि पुन: नहीं बढ़ाई क्योंकि यूनिट ने एसईजेड नियमावली के नियम 19(4) के तहत अपेक्षा के अनुसार वैधता अवधि या बढ़ाई गई वैधता अवधि के अंदर उत्पादन / अधिकृत प्रचालन आरंभ नहीं किया था। यूनिट को यह भी सूचित किया गया कि एलओपी की वैधता अवधि एसईजेड नियमावली के नियम 19(5) के प्रावधानों के अनुसार 23 मार्च, 2010 को समाप्त हो गई है।

उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स मरवाल इंडिया ने 23 मार्च, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अपील पर विचार किया गया तथा अनुमत नहीं किया गया और बोर्ड ने नोट किया कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद सूरत एसईजेड की यूनिट ने ऐसा कोई विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है कि वे विनिर्माण तथा निर्यात कार्य शुरू करेंगे। इसके अलावा अपील का बचाव करने के लिए यूनिट का प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ था।

यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड से अपने निर्णय पर पुनिर्विचार करने तथा निम्नलिखित कारणों से 31 दिसंबर 2011 तक वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है :

(i) किसी निजी सुनवाई के बगैर तथा मामले को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किए बगैर उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई है।

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं तथा परियोजना कार्य का 75 प्रतिशत से अधिक पूरा कर लिया है तथा परियोजना के लिए लगभग 105 लाख रुपए का निवेश किया है।

(iii) वे बढ़ाई गई वैधता अवधि के अंदर परियोजना का निष्पादन पूरा कर लेंगे और इसके बाद किसी और समय विस्तार की मांग नहीं करेंगे।

(iv) अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) को संशोधित किया गया है, जिससे अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है। इस संशोधन के जारी होने के फलस्वरूप अनुमोदन बोर्ड 4 साल के बाद एसईजेड यूनिटों की वैधता अवधि बढ़ा रहा है।

यूनिट की अपील पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय की समीक्षा के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में व्यापार की गतिविधि को शामिल करने के लिएएलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। इसके बाद गियर बाक्स के निर्माण की मरम्मत / रीइंजीनियरिंग तथा रीकंडिशनिंग के लिए तथा विंड टर्बाइन के लिए गियर बाक्स के स्पेयर पार्ट्स में व्यापार से संबंधित सेवाओं को शामिल करने के लिए भी एलओए को संशोधित किया गया था। यूनिट ने शुल्कों और करों के भुगतान पर स्थानीय ग्राहकों को बिक्री (व्यापार की गतिविधि) के लिए पूर्णत: असेंबल्ड गियर बॉक्स की यूनिटों के आयात के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एमएसईजेड से अनुरोध किया है। 24 दिसंबर 2010 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा इस पर सहमति नहीं हुई क्योंकि यूनिट अनुमोदन समिति का यह मानना है कि यूनिट को हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड, हंसेन ट्रांसमिशन (मूल कंपनी) तथा इसकी सहयोगी कंपनियों के विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग के लिए अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा गियर बॉक्स यूनिटों तथा ट्रेडिंग एवं रिपेयर / रिइंजीनियरिंग के लिए लाए गए कंपोनेंट के बीच अंतर करना कठिन है। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 4 जनवरी, 2011 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने अधिकृत प्रचालनों के लिए ब्राड बैंडिंग सेवा के रूप में ट्रेडिंग के समावेशन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 8 (पृष्ठ 87 से 90) के रूप में संलग्न है।

इस मामले में विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट से संबंधित एक अन्य मामले में अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में यूनिट का दौरा किया गया तथा विनिर्मित गियर बॉक्स तथा व्यापार के योग्य गियर बॉक्स के बीच तादात्म्य स्थापित करने की कार्यविधि का सत्यापन किया गया। इसके अलावा चूंकि प्रत्येक गियर बॉक्स पर विनिर्माता का नाम, माडल तथा सीरियल नंबर होता है इसलिए उसकी उत्पत्ति आदि के सिलसिले में गियर बॉक्स की पहचान करना कठिन नहीं हो

सकता है। इसलिए ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करने में विकास आयुक्त, एमईपीजेड को कोई आपत्ति नहीं है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 9 (पृष्ठ 91 से 92) के रूप में संलग्न है।

अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप जो अपीलकर्ताओं के कारखाने में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग तथा रिकंडिशनिंग से उत्पन्न होते हैं, को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपील

मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जेनरेटर तथा कंट्रोल पैनल, विंडमिल के पार्ट्स का निर्माण करने के लिए कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा हाईटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 18 सितंबर 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इसकी मूल कंपनी के लिए विनिर्मित जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग एवं रिकंडिशनिंग करने के लिए एलओए की ब्राडबैंडिंग की गई। यूनिट ने सितंबर 2008 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया तथा 31 मई 2009 तक की स्थिति के अनुसार 160 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। यूनिट ने डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप के निवारण के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से अनुरोध किया था, जो उसके कारखाना परिसर में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग तथा रिकंडिशनिंग से उत्पन्न होते हैं। यूनिट ने बताया है कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने इस आधार पर उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है कि ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए में स्क्रैप (जो आयातित खराब जेनरेटर से उत्पन्न होता है) के क्लियरेंस के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए एसईजेड नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 03 फरवरी, 2011 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने यूनिट के परिसर में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत करने के दौरान डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप सृजित होने पर उसे अबाध रूप से क्लियर करने की मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 10 (पृष्ठ 93 से 99) के रूप में संलग्न है।

अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

****